न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 245 सन 2019

अनवान :–

1. बलदेव पुत्र डुगराराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
2. प्रकाश चन्द्र पुत्र गोपी जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
3. मदनलाल पुत्र महावीर जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. सन्तु पुत्र मन्शा जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
2. डुगरराम पुत्र सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
3. महावीर पुत्र सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
4. गोपीराम पुत्र सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
5. प्रमेश्वरी पुत्री सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
6. गुडडी पुत्री सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
7. सदो देवी पुत्री सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
8. विधादेवी पुत्री सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
9. मेवा पुत्री सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
10. सुखराम पुत्र डुगरराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
11. सन्दीप पुत्र महावीर जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
12. शारदा पुत्री महावीर जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
13. सन्दीप पुत्र गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
14. मोनिका पुत्री गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
15. पुजा पुत्री गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
16. बृजलाल पुत्र सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
17. राजुराम पुत्र सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज.

निर्णय दिनांक :– 24/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बरानी के खाता संख्या 570/487 की कुल7.5900हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मन्शाराम पुत्र विधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मन्शाराम पुत्र विधाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण के पिता/दादा है के नाम से दर्ज है वादी के पडदादा मन्शाराम पुत्र विधाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है।जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ,14 ,15 ,वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री/पौत्री है प्रतिवादी संख्या 5, ता 9 , 14 ,15 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ,14 ,15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 ता 13 ,16 ,17 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 ता 13 ,16 ,17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 ता 13 ,16 ,17 अपने हक हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पुर्वज मन्शाराम पुत्र विधाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ,14 ,15 ,जो वादी की बहन/बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 ता 13 ,16 ,17 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 18 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बरानी के खाता संख्या 570/487 की कुल7. 5900हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मन्शाराम पुत्र विधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मन्शाराम पुत्र विधाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण के पिता/दादा है के नाम से दर्ज है वादी के पडदादा मन्शाराम पुत्र विधाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

सत्यमेव जयते

प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ,14 ,15 ,वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5, ता 9 , 14 ,15 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ,14 ,15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 ता 13 ,16 ,17 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 ता 13 ,16 ,17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बरानी के खाता संख्या 570/487 की कुल7.5900हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 मिलान क्षेत्रफल पर्चा खतौनी के अनुसार वाद भूमि मन्शाराम पुत्र विधाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के पुर्वज मन्शाराम पुत्र विधाराम के नाम से दर्ज है वादी के पुर्वज मन्शाराम पुत्र विधाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 बहिब के हकदार है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ,14 ,15 वादीगण की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री/पोत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 9, 14 ,15 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 ता 13 ,16 ,17 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,10 ता 13 ,16 ,17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बरानी के खाता संख्या 570/487 की कुल7.5900हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में वादी संख्या 1 का प्रतिवादी संख्या 2 व 10 तीनों बहिब 1/6 हिस्सा , वादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 4 व 13 तीनों बहिब 1/6 हिस्सा , वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 3 व 11 तीनों बहिब 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 16 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे।यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बलदेव पुत्र डुगराराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
2 प्रकाश चन्द्र पुत्र गोपी जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
3 मदनलाल पुत्र महावीर जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. सन्तु पुत्र मन्शा जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
2 डुगरराम पुत्र सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
3 महावीर पुत्र सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
4 गोपीराम पुत्र सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
5 प्रमेश्वरी पुत्री सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
6 गुडडी पुत्री सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
7 सदो देवी पुत्री सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
8 विधादेवी पुत्री सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
9 मेवा पुत्री सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
10 सुखराम पुत्र डुगरराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
11 सन्दीप पुत्र महावीर जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
12 शारदा पुत्री महावीर जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
13 सन्दीप पुत्र गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
14 मोनिका पुत्री गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
15 पुजा पुत्री गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
16 बृजलाल पुत्र सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
17 राजुराम पुत्र सन्तु जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 245 सन 2019 निर्णय दिनांक– 24/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज. की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बरानी के खाता संख्या 570/487 की कुल7.5900हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में वादी संख्या 1 का प्रतिवादी संख्या 2 व 10 तीनों बहिब 1/6 हिस्सा , वादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 4 व 13 तीनों बहिब 1/6 हिस्सा , वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 3 व 11 तीनों बहिब 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 16 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner